

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23122021-232073
SG-DL-E-23122021-232073

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382]	दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 22, 2021/पौष 1, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 310
No. 382]	DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2021/PAUSA 1, 1943	[N. C. T. D. No. 310

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-11) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2021

सं. फा. 8/486/2014/गृह पु.-II/2676-2690.—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद् द्वारा एफ. आई.आर. सं० 207/2006 पुलिस थाना तिलक मार्ग, दिल्ली तथा सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में राज्य की ओर से उक्त एफ०आई०आर० से संबंधित अन्य मामलों के मुकदमों के संचालन के लिए श्री दयान कृष्णा, विशेष लोक अभियोजक की सहायता के लिए श्री त्रिदीप पाइस, अधिवक्ता के स्थान पर सुश्री मानवी प्रिया, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एल.के. गौतम, उप-सचिव (गृह-II)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 20th December, 2021

F.No. 8/486/2014/HP-II/2676-2690.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Government of National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Ms. Manvi Priya, Advocate as Special Public Prosecutor in place of Sh. Trideep Pais, Advocate to assist Sh. Dayan Krishna, Special Public Prosecutor to conduct case FIR No. 207/2006, P.S. Tilak Marg, Delhi and other related matters arising out of the said FIR on behalf of the State in the Court of competent jurisdiction.

By Order and in the Name of
the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

L.K. GAUTAM, Dy. Secy. (Home-II)